

प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में

प्राचार्य,

1. राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालय।
2. राज्य में स्थित सभी राज्य पुस्तकालय।
3. राज्य में स्थित सभी एन0सी0सी0 यूनिट्स।

यादि क्रमांक 27/118-2019 तम (2)
दिनांक, पंचकूला 07/2/2020

विषय : नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वैल्फेयर-उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अर्न्तगत **Book Adjustment** न किए जाने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में उप-अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0 का0 मुख्य सचिव, हरियाणा, चण्डीगढ़ से प्राप्त पत्र क्र0 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0, दिनांक 17.01.2020 द्वारा नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वैल्फेयर-उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अर्न्तगत Book Adjustment न किए जाने बारे जारी हिदायते/दिशानिर्देश फार्म की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध किया है कि अपने कार्यालय से सम्बन्धित कार्यरत सुख-सहायकों की कुल संख्या/कुल खर्च (जी0आई0एस0 बिल की राशि) तथा अप्रैल, 2019 तक जी0आई0एस0 Head 2235 में बनाये गये बिलों की कुल राशि भी संलग्न प्रोफामों में भरकर इस निदेशालय की शाखा की ई-मेल आई0डी0 hechrycoord5@gmail.com पर शीघ्र उपलब्ध करवायें तथा जुलाई, 2019 के बाद प्रत्येक क्वार्टर में खर्च की गई राशि की सूचना भी शीघ्र भिजवायें, ताकि संकलित सूचना सम्बन्धित विभाग को यथासमय भिजवाई जा सके।

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा जारी हिदायतों की दृढता से पालना की जाये।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अधीक्षक तालमेल

कृते: महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

34 (G) Ad
28/1/2020

अति आवश्यक

कमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

- 1 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
- 2 आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गाँव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल ।
- 3 रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
- 4 सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा ।
- 5 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 17 जनवरी, 2020

विषय:-

नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेयर-उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किए जाने बारे ।

श्रीमान/श्रीमती,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र कमांक 6/2/1989- 2एन0जी0आई0एस0 दिनांक 31-05-2019 तथा सस्मरण पत्रों की और दिलाउं तथा अनुरोध करूँ कि आप अपने अधीन कार्यरत श्रेणी IV के कुल सरकारी कर्मचारियों की समेकित संख्या (H.O. and Field) तथा उनकी मासिक तौर पर सरकार द्वारा की जाने वाले अंशदान (10/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से) की समेकित सूचना (अगस्त, 2018 से दिसम्बर, 2019 तक) (मासिक तौर पर) संलग्न प्रोफार्मा में सकारात्मक तौर पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, एन0जी0आई0एस0 शाखा, नव सचिवालय, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ को शीघ्रतः भिजवाना सुनिश्चित करें तथा इसकी एक प्रति कार्यालय के ई-मेल ngiscs2013@gmail.com पर तुरन्त भिजवाने का कष्ट करें ।

अनु वत्ता

उप अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

इसकी एक-एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

अनु वत्ता

उप अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार ।

अशा0 कमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0
पृ0 कमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

दिनांक, चण्डीगढ़ 17 जनवरी, 2020
दिनांक, चण्डीगढ़ 17 जनवरी, 2020

जाती है-

- 1 सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा ।
- 2 प्रधान महालेखाकार (ए0 एण्ड ई0), हरियाणा ।

अनु वत्ता

उप अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

CFMS No. 0720
DATE 22/1/2020

23/1/20
Mr
सेवा में
RUP

PKHE
29.01.2020

JHE (bushy)
22/1/2020

A.D. Adhuni

22/1/2020

SEKAR

Name of Department –

Sr. No.	Month/Year	Total number of Government Class IV employees (H.O. & Field Consolidated)	Total amount of Book Transfer per month (under Major Head 2235 of GIS)	Remarks

Note: Please give specific reason, why the deduction is not being done properly.